

तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर

पत्रांक ३७७९ | दृष्टि ०२३-२५

दिनांक—02.07.2024

कार्यालय आदेश

महाविद्यालय के समस्त सम्मानित शिक्षकों को सूचित किया जाता है कि यू०जी०सी० अधिनियम—2018 एवं शासनादेश संख्या— 1190 / सत्तर—1—2029 —16 (144) / 2010 के अनुसार एक शैक्षिक सत्र— (माह जुलाई से जून) के अनुसार अनुमन्य अवकाश निम्न प्रकार हैं—


शैक्षिक सत्र— (माह जुलाई से जून)

1. आकस्मिक अवकाश	— (CL)	— 08
2. विशेष आकस्मिक अवकाश— (Special -C.L.)	—	10 (केवल परीक्षा कार्य हेतु)
3. अर्जित अवकाश	— (Earn Leave)	— 12
4. इतर कार्यार्थ छुट्टी	—(Duty Leave)	— 30 (ओरियन्टेशन कोर्स, रिफेशर कोर्स, वर्कसाप, सेमिनार, पुनर्शर्या पाठ्यक्रम, शोध पद्धति कार्यशाला, संकाय अधिष्ठापन कार्यक्रम, सम्मेलन, संगोष्ठी या विचार गोष्ठी तथा अन्य शैक्षणिक उन्नयन कार्य हेतु ही अनुमन्य हैं)।

(इसके अतिरिक्त अन्य अनुमन्य अवकाश उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार ही देय होंगे)।


नोट :—

1. अवकाश प्रार्थना पत्र उचित माध्यम से ही प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें ताकि अग्रेतर कार्यवाही की जा सकें।
2. विशेष आकस्मिक अवकाश (Special C.L.) एवं इतर कार्यार्थ छुट्टी (D.L.) का समुचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।


प्राचार्य ०२७/२५

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. मा० प्रबन्धक जी, तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर।
2. कार्यालय अधीक्षक/लेखाकार/वेतन सहायक/श्री विजय कुमार मौर्य, क० सहायक/श्री कौशल सिंह, बायोमेट्रिक पटल सहायक को इस आशय से प्रेषित की प्रतिदिन का अधोहस्ताक्षरी को अवलोकित कराएं।


प्राचार्य ०२७/२५